INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AUTHORITY

(A GOVT.OF BIHAR UNDERTAKING)
1st Floor, Udyog Bhawan, East Gandhi Maidan, Patna.
Email- md@idabihar.com Website-www.idabihar.com, Phone : 0612 - 2675933, 2675935, Fax- 2675934

नियुक्ति हेतु विज्ञापन – 27/Notice/IDA/25

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई0डी0ए0), बिहार सरकार का एक उपक्रम है। प्राधिकार का मुख्यालय पटना में अवस्थित है। आई0डी0ए0 बिहार राज्य के आधारभूत संरचना के विकास यथा सड़कों, भवनों, स्वास्थ्य, सिचाई, जल प्रबंधन हेतु संकल्पित है। आई0डी0ए0 जन निजी साझेदारी (पी0पी0पी0) हेतु राज्य सरकार की एक नोडल एजेंसी है।

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार निम्नांकित पदों के लिए प्रतिनियुक्ति/संविदा पर आवेदन आमंत्रित करता है:–

Sl. No.	Name of the Post	Category wise no. of posts	Remuneration per month ₹	Minimum Qualification
1.	**Executive Officer (PPP)**	**UR - 01**	75,000 – 1,25,000	MBA(Finance)/CFA/MFC/ICWA with at least 2 years of Experience in PPP projects or B.Tech. with 4 years of experience in PPP projects/finance/ marketing. (Retired personnel with experience in similar field may also apply)
2.	**Land Development Officer**	**UR - 01**	As per Scale	Serving/Retired B.A.S. Officer of ADM level and above, with 09 years of experience in Revenue Work.
3.	**Administrative officer**	**UR - 01**	50,000 – 75,000	PG diploma in HRD or Personnel Mgt. Experience required is 2 years.
4.	**Assistant Engineer (Planning)**	**UR – 01**	50,000 – 75,000	BTech/BE (Civil) with at least 2 years of experience.
5.	**Assistant Engineer (Design)**	**UR – 01**	50,000 – 75,000	B.Tech/ BE (Civil) with at least 2 years of experience in design sector.
6.	**Account Assistant**	**EBC – 01**	25,000 – 35,000	B.Com with knowledge of computer operation & minimum 2 years of working experience.
7.	**Office Assistant (Administration)**	**EBC – 01**	25,000 – 35,000	Government retired Assistant/BBA or Diploma in HR with 3 years experience with knowledge of computer operation.

सामान्य निर्देश :–

1. लिफाफे के ऊपरी हिस्से पर आवेदित पद का नाम एवं विज्ञापन संख्या स्पष्ट तौर पर लिखा होना चाहिए।
2. संविदा की अवधि अधिकतम 01 वर्ष की होगी जो बाद में बढ़ायी भी जा सकती है।
3. संविदा पारिश्रमिक सभी भत्ते (15 प्रतिशत मकान किराया भत्ता) सहित है।
4. सभी पद व्यवसाय निषेध (नन प्रैक्टिसिंग) है।
5. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ देना अनिवार्य होगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है।
6. प्रतिनियुक्ति को छोड़कर उक्त पद के लिए दिनांक **07.08.2025** को अधिकतम आयु 50 वर्ष एवं सेवा निवृत्त कर्मियों के लिए अधिकतम आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।
8. आवेदन के पश्चात् Shortlisted Candidates का साक्षात्कार/लिखित परीक्षा ली जा सकती है।
9. सुस्पष्ट आवेदन पत्र जिसका प्रारूप प्राधिकार के बेवसाईट लिंक (https://www.idabihar.com/application-form/) पर उपलब्ध है।
10. आवेदन पत्र, दो फोटोग्राफ, ई0–मेल ID, पी0पी0ओ0 (Pension Payment Order), आयु, योग्यता, जाति, आवासीय, अनुभव प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं रू0 **500/-(Five Hundred Rupees) का बैंक ड्राफ्ट** जो आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना (Infrastructure Development Authority, Patna) के नाम पर, पटना में देय हो, के साथ डाक (by post) द्वारा **आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना – 800 004** के पते पर **दिनांक 07.08.2025 को 5:00 बजे अपराह्न** तक पहुँच जाना चाहिए।
11. अपूर्ण आवेदन पत्र एवं वैसे आवेदन जिनमें आकड़े पूर्ण न हो अथवा पी0पी0ओ0, आयु, योग्यता, जाति, आवासीय, अनुभव प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न न हो तथा अंतिम तिथि उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न न हो तो वैसे आवेदन पत्र को प्राधिकार रद्द करने हेतु सक्षम है।

12. आई0डी0ए0 के पास किसी भी आवेदन को बिना कोई सूचना दिये रद्द् करने का अधिकार है। इस संबंध में प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।
13. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पटना होगा।

निदेशक (प्रशासन)